संख्या- 1/2020/3450/छिहत्तर-1-2019-14 बजट/2018

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड, बिन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन के विरचन कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या- 555/ ई-2(बजट-VI) /2019-20 दिनांक 10 जुलाई, 2019, पत्र संख्या- 677/ ई-2(बजट-VI) /2019-20 दिनांक 26 जुलाई, 2019 एवं पत्र संख्या- 555/ ई-2(बजट-VI) /2019-20 दिनांक 10 जुलाई, 2019 तथा पत्र संख्या- 717/ ई-2(बजट) /2018-19 दिनांक 02 अगस्त, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत प्राक्कलन के विरचन के कार्य, मोविलाइजेशन एडवान्स एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु कुल ₹ 11836.14 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में बुन्देलखण्ड, बिन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन के विरचन के कार्य हेतु कुल ₹ 4685.30 लाख (रूपये छियालीस करोड़ पचासी लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण /शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-2638/अडतीस-5- 2018-87 सम/2017 दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा जारी "बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना" के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) योजना का क्रियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जायेगा।

(3) योजना के विस्तृत प्राक्कलन हेतु सम्बन्धित एजेन्सियों को स्वीकृति प्राक्कलन धनराशि के एक समान 0.88 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किये जाने तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, की पुष्टि किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्तीय सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण / व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्तीय सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(5) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्गत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूदध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्तीय सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज के नियमानुसार समायोजन/ निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु समाग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12)धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बनधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस- 2019-231/ 2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार / मानको के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(15)योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने परसक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-08-बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू0ओ0- ई-2-1081/दस-2019, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:1/2020/3450 (1)/छिहत्तर-1-2019-14 बजट/2018, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(7) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(9) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।